

27<sup>08</sup>  
24

पत्रावली पेश। वकील जर्जीगण या जर्जीगण  
स्वयं उपस्थित नहीं। बार-बार आवेदन  
लगाते पर भी कोई उपस्थिति नहीं आता।  
अतः जर्जीगण का यह आवेदन अफ प्रेसी-  
अफ टाजिरी में इसी स्तर पर खारिज किया  
जाता है। पत्रावली बार वकील वकील द्वारा  
इसके स्तर है।

निर्णय लिखाया जाते खुले न्यायालय  
के सुनया गया।

  
(मन्मथ कुमार शर्मा)  
R.A.S.  
उपखण्ड अधिकारी  
घड़साना

